राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2604 / 2024

राम खिलाडी बैरवा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिव्यांग व्यक्ति है। अपीलार्थी की नियुक्ति भी दिव्यांग कोटे में हुई थी। सहकारिता सेवा में नियमित रूप से चयनित सहायक रजिस्ट्रार की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 18.04.2024 को जारी की गयी थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–71 पर अंकित किया था, परन्तु अपीलार्थी के नाम के आगे दिव्यांग श्रेणी का होना अंकित नहीं किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 26.04.2024 को एक अभ्यावेदन शासन सचिव, सहकारिता विभाग को प्रेषित किया। अपीलार्थी के द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 24.06.2024 को जारी की गयी, जिसमें भी अपीलार्थी के नाम के आगे दिव्यांग श्रेणी का होना अंकित नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को दिव्यांग श्रेणी का होने के लाभ से वंचित किया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की

ओर से अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने के पश्चात अभ्यावेदन दिनांक 26.07.2024 एवं 20.08.2024 को प्रेषित किया, परन्तु फिर भी अपीलार्थी के नाम के आगे दिव्यांगजन श्रेणी का होना अंकित नहीं किया गया।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने स्वयं को दिव्यांग कोटे से भर्ती होना बताया है। ऐसे में पदोन्नति के सम्बन्ध में दिव्यांगजन होने का लाभ अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20.08.2024 (अनुलग्नक–3) पर गुणावगुण पर विचार कर आख्यात्मक आदेश पारित किया जाए एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण होने के पश्चात ही सहायक पंजियक (सहा.रजिस्ट्रार) से उप पंजियक (उप रजिस्ट्रार) के पदों पर वर्ष 2024–25 की डीपीसी आयोजित की जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)